न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 60 / 2018

1. तेजा सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ...... **वादी**

बनाम

1. निर्भय सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. गुरलाभ सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. जगमीत सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. हरजिन्द्र कौर पत्नी रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5. अमरजीत कौर पत्नी भरपूर सिंह जाति जटसिख निवासी मासीतावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा **(मृतक)**
   5/1 – सुखदीप सिंह पुत्र भरपूर सिंह जाति जटसिख मासीतावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा
   5/2– अमनदीप सिंह पुत्र भरपूर सिंह जाति जटसिख मासीतावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा
   5/3–रमनदीप कौर पुत्री भरपूर सिंह जाति जटसिख मासीतावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा
   5/4 – जसविन्द्र कौर पुत्री भरपूर सिंह जाति जटसिख मासीतावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा
6. कर्मजीत कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी खोथांवाली तहसील गोलूवाला जिला हनुमानगढ
7. चरणजीत कौर पत्नी गुरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी लादूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर, जरिये तहसीलदार
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर, जरिये तहसीलदार

— — **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता — वादी [illegible] 5/1 ता 5/4
   प्रतिवादी सं[illegible]
2. श्री खुशपिन्द्र सिंह अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 6 व 7
3. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता — प्रतिवादी–8
4. पैरोकार राज सादुलशहर — प्रतिवादी–9
5. पैरोकार राज श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(अनवान तेजा सिंह बनाम निर्भय सिंह
राजस्व वाद संख्या :– 60 / 2018)

–:: निर्णय ::–.

दिनांक :– 29.07.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का सगा भाई तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी के भाई की पत्नि तथा पुत्रगण हैं। वादी के पिता करतार सिह पुत्र हरि सिंह को पिता की मृत्युपरांत विरास्तन में 80.00 बीघा भाईयों के साथ बहिस्सा बराबर–बराबर प्राप्त हुआ था। चूंकि पूर्व में संयुक्त हिन्दू परिवार तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 3 4 के पति–पिता के नाम से रकबा खरीद किया गया था। इस प्रकार वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 तथा करतार सिंह एवं गुरदयाल कौर के नाम से कुल 32.473 हैक्टेयर रकबा खातेदारी कागजात माल में है जिसमें करतार सिंह पुत्र हरी सिंह की दिनांक 04.04.2018 तथा गुरदयाल कौर माता की दिनांक 05.08.2016 को मृत्यु हो चुकी है। जिनके वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ता 4 प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। मृतक करतार सिंह पिता तथा मृतक गुरदयाल कौर के हिस्सा की कुल 19.391 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ता 4 प्रत्येक 1/3– 1/3 बहिस्सा बराबर–बराबर की खातेदारी घोषणा तथा तदुपरांत अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं त्र। वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक सह खातेदार काश्त की सुविधा अनुसार अपने–अपने हिस्सा पर काबिज काश्त हैं । किन्तु राजस्व अभिलेख में भिन्न स्थिति होने के कारण सदैव ही भय बना रहता है कि कब कब्जा छिन ले। इसलिये वादी ने पिता–माता की मृत्युपरांत पंचायत के माध्यम से प्रश्नगत् कृषि भूमि के नामान्तरण हेतु प्रतिवादीगण से अनुरोध किया तो वे आज कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादी एक पढ़ालिखा अग्रिम पेशा का काश्तकार है जो कृषि से अपनी पैदावार बढ़ाना चाहता है लेकिन राजस्व अभिलेख में खातेदारी नही होने से सदैव बाधा बनी रहती है इसलिये खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन हेतु न्यायालय के माध्यम के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है । वादी की संयुक्त रूप से सह खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें वर्तमान में वादी के पास वाके चक 10 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1 ता 5, 8 ता 10 की कुल 8.00 बीघा तथा वाके चक 5 बीएनडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 19 में 4.5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 22 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 35 में 5 बीघा मुरब्बा नम्बर 34 में 2 बीघा तथा चक 4 बीएनडब्ल्यू की 52/46 के 1.898 हैक्टेयर में 3.15 बीघा ही कब्जा काश्त है। जिस पर वादी ने अथक मेहनत कर उपजाऊ योग्य बनाया है। जिस पर वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी की बहने हैं जो शादी–शुदा हैं जो अपने ससुराल में आबाद हैं जिन्होने मौखिक रूप से अपना–अपना हिस्सा तीनों भाईयों के हक में छोड़ रखा है । प्रतिवादी संख्या 5 व 6 भू–धारक होने से औपचारिक पक्षकार बनाये गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 द्वारा जवाब मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज तथ्य भूमि का विवरण है। लेकिन समस्त भूमि प्रार्थी के पिता व माता द्वारा खरीद की हुई है जो जद्दी जायदाद है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 का 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा तीनों का बनता है जो अब अधिकारों की घोषणा की मार्फत हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 7 करतार सिंह व गुरदयाल कोर पुत्रीयां है जो हिन्दु

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार समस्त 32.473 है मैं बहिस्सा बराबर की हकदार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का 1/3, 1/3 हिस्सा नहीं बनता बल्कि करतार सिंह के सभी वारिसान का 1/6, 1/6 हिस्सा बनता है इसलिए प्रार्थी समस्त भूमि में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और न ही स्थाई निषेधाज्ञा लेने का अधिकारी है। दावा काबिले खारिजी है। वाद–पत्र/दावा में दर्ज तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये हैं अस्वीकार हैं वाद पत्र में मिथ्या कथन दर्ज किये गये है। वाद–पत्र काबिले खारिजी है। वादी द्वारा प्रतिवादी को अपने नाम भूमि करवाने के लिए कब कहां कहा इसकी कोई तारीख नहीं है । वादी को कोई काज आफ एक्शन प्रतिवादी के खिलाफ हासिल नहीं होता। दावा काबिले खारिजी है । वाद–पत्र की चरण संख्या 6 में दर्ज तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार है । वाद–पत्र की चरण संख्या 7 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये हैं स्वीकार है। वादी केवल अपने हिस्से तक क्लेम कर सकता है। वादी का 1/6 हिस्सा बनता है समस्त भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करवा सकता । प्रथम दृष्टया केस प्रतिवादीगण के हक में है । वाद–पत्र काबिले खारिजी है। वाद–पत्र की चरण संख्या 9 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये हैं, स्वीकार नहीं है । प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 द्वारा कोई दस्तबरदारी नहीं की गयी है । प्रतिवादी अनपढ महिला है, माता पिता के मरने के बाद अपने मायके आयी थी और कहने लगे कि आपका मुख्तयारनामा बनवाना है, मुख्तयारनामें के बहाने कचहरी ले गये और वहां इकरारनामें का स्टाम्प लेकर उसपर दस्तबरदारी तहरीर करवा दी जो धोखे से करवायी गयी है जिसका प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 के हितों पर कोई असर नहीं है और वैसे भी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में दस्तबरदारी का कोई प्रावधान नहीं है। वॉईड दस्तावेज से वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। दावा काबिले खारिजी है। वाद–पत्र की चरण संख्या 9 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद–पत्र की चरण संख्या 10 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। काउन्टर क्लेम– वादी द्वारा दावा 53 आर टी ए व 88 आर टी ए का पेश किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि बैंक के पास रहन है बैंक को पक्षकार नहीं बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है इसलिए सभी पक्षों को पक्षकार नहीं बनाने के कारण दावा काविले खारिजी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 रेशम सिंह के वारिसान है लेकिन वादी द्वारा सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। रेशम सिंह के दो लड़कियां मनजीत कौर उर्फ जसप्रीत कौर व वीरपाल कौर है जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया ! अन्य काश्तकार जमाबन्दी में दर्ज है उनको भी पक्षकार नहीं बनाया। बिना पक्षकार बनाये दावा मेन्टेबल नहीं है। दावा इसी आधार पर काबिले खारिजी है। भूमि तक 10 एल एन पी 5 बी एन डब्ल्यू, 4 बी एन डब्ल्यू 13 वादग्रस्त में कुल 32.473 है. भूमि जो प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 के पिता व माता द्वारा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम खरीदकर लगायी थी और खुद के नाम जो भूमि 19.391 है. भूमि है वह विरास्त में प्राप्त हुई थी । विरास्त में आई हुई भूमि व उसकी पैदावार से खरीदी गयी भूमि जही जायदाद है इसलिए 32.473 भूमि में प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 का बतौर वारिस 1/6, 1/6 हिस्सा बनता है जो भू[illegible] है जिसमें बाईबर्थ प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 का अधिकार है इसलिए प्रतिवादीगण सं. [illegible] वादग्रस्त भूमि में अपन[illegible] अधिकारी है। 1 3 – अधिकारों की घोषणा करवाकर बंटवारे की डिग्री[illegible] किया जा रहा है यह कि काउन्टर क्लेम उचित कोर्ट [illegible] निश्चित [illegible] प्रस्तुत [illegible] मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करके जो अदालतवाला के क्षेत्राधिकार में है। अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करके निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का काउन्टर क्लेम 1/6 हिस्से के अनुसार घोषित कर भूमि का बंटवारा किये जाने का आदेश व डिग्री जारी की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तहसीलदार श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार सादुलशहर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 5/1, 5/3, 5/4, 6 व 7 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर एवम् प्रतिवादीसंख्या 5/2 जरिए मुख्तयार आम भरपुर सिंह उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार मनके तेजा सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर वाद हाजा मे वादी हूं एवम् निर्भय सिंह – हरजिन्द्र कौर – जगमीत सिंह जो कि उपरोक्त अनुवानी वाद मे वादी एवं प्रतिवादीगण का पंचायत के मौतबिर व्यक्तियो द्वारा राजीनामा करवा दिया है, जो निम्न प्रकार से है:–

1 – मृतक रेशम सिंह के वारिसान गुरलाभ सिंह, जगमीत सिंह को राजीनामा के अनुसार निम्न कृषि भूमि दी गई है :–

चक 10 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 15, के किला नम्बर
16–17–18 की 0.759 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 की 0.0428 हैक्टेयर, किला नम्बर 21,
22, 23, 24, 25 की 1.265 हैक्टेयर कुल 2.066 हैक्टेयर, चक 5 बी. एन. डबल्यू. तहसील
सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 07 के किला नम्बर 23 की 0.1010, किला नम्बर 24 की
0.1520 कुल 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 4 की 0.253, 7 की 0.127
कुल 0.38 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 4 की 0.253,17 की 0.253, 24
की 0.253 कुल 0.759 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 4, 7, 13, 14, 17, 18,
23, 24 सालम कुल 2.024 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 4 की 0.025
हैक्टेयर, चक 4 बी.एन. डबल्यू. तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर
3, 8, 13,14 सालम व किला नम्बर 7 की 0.127 हैक्टेयर कुल 1.139 हैक्टेयर, मुरब्बा
नम्बर 82 के किला नम्बर 4, 5, 6, 7 सालम कुल 1.012 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 82, 83,
84, 85 सांझा खाता की कुल 0.928 हैक्टेयर उक्त मुरब्बाजात में कुल 8.586 हैक्टेयर

2– हरजिन्द्र कौर को राजीनामा के अनुसार निम्न कृषि भूमि दी गई है :– चक 4
बी.एन.डबल्यू. तहसील सादुलशहर मुरब्बा नम्बर 70 के किला नम्बर 4 की 0.228, किला
नम्बर 5 की 0.228, किला नम्बर 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 सालम कुल 2.480
हैक्टेयर उक्त मुरब्बाजात की कुल आराजी 2.480 हैक्टेयर

3 – निर्भय सिंह को राजीनामा के अनुसार निम्न कृषि भूमि दी गई है:– चक 10
एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 6 सालम, 7 की
0.0854, 11, 12, 13, 14, 15, 20 सालम व 19 की 0.2102 कुल 2.066 हैक्टेयर, चक 5
बी. एन. डबल्यू. तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 की 0.1890,
7 की 0.126, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 23, 24 सालम कुल 2.339 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर
23 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 सालम कुल 1.265 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 34 के
किला नम्बर 1, 2, 9, 10 सालम कुल 1,012 हैक्टेयर, चक 4 बी.एन. डबल्यू. तहसील
सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 2 की 0.215, 3 की 0.215, 4 की 0.215,
7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24 सालम कुल [illegible] हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 62 के
किला नम्बर 4, 5, 6, 15 सालम व 7 की 0.126 कुल [illegible]38 हैक्टेयर उक्त मुरब्बाजात की
कुल आराजी 10.996 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

4– तेजा सिंह को राजीनामा के अनुसार निम्न कृषि भूमि दी गई है:–
चक 10 एल.एन.पी. तहसील श्री गंगानगर के मुरब्बा [illegible]र 15 के किला नम्बर 1 की
0.228, 2 की 0.228, 3 की 0.228, 4 की 0.228, 5 की 0.228, 7 की 0.1676 व किला
नम्बर 8, 9, 10 के सालम कुल 2.066 हैक्टेयर, चक 5 बी. एन. डबल्यू. तहसील

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

सादुलशहर मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 4 सालम, 5 की 0.228, 6 की 0.228, 7 सालम, 15 की 0.228, 16 की 0.228, 25 की 0.228 कुल 1.646 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 12, 19, 20, 21, 22 सालम कुल 1.518 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 5 की 0.228, 6 की 0.228, 15 की 0.228, 16 की 0.228, 25 की 0.228 कुल 1.140 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 1 9 के किला नम्बर 5 की 0.0630, 6, 15, 16, 25 सालम कुल 1.075 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 5/1 की 0.0630, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 की 0.1130, 2 की 0.1260 कुल 0.239 हैक्टेयर, चक 4 बी. एन. डबल्यू. तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 16, 17, 24, 25 सालम कुल 1.012 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 82, 83, 84, 85 सांझां खाता मे 0.970 हैक्टेयर उक्त मुरब्बाजात की कुल 9.7296 हैक्टेयर।

यह कि प्रत्येक काश्तकार द्वारा अपना उठाया गया बैंक ऋण, सी.सी. वगैरा स्वयं जमा करवाने के लिये पाबंद रहेगें तथा माता गुरदयाल कौर व पिता करतार सिंह द्वारा उठाया गया ऋण, के.सी.सी. तथा अन्य प्रकार का ऋण निर्मय सिंह व गुरलाभ सिंह तथा जगमीत सिंह जमा करवाने के लिये पाबंद रहेगें। अतः उपरोक्त राजीनामा हम सभी पक्षकारान की सहमति व रजामंदी से व बिना किसी नशे पते व दबाव के लिख दिया है व उक्त राजीनामा के अनुसार वाद डिकी फरमाया जावे।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादी द्वारा वाद विभाजन का प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी एवम् प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का विभाजन किया जाना है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है प्रकरण में किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार सादुलशहर से प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत सहमति जताई गई। वादी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं जमाबंदी सम्वत 2068–2071 चक 10 एलएनीपी, पटवार हल्का 6 एलएनीपी, भू.अ.नि.क्षेत्र. श्रीगंगानगर खाता संख्या 7/7, जमाबंदी सम्वत 2069–2072 चक 5 बीएन डब्ल्यू, पटवार हल्का हाकमाबाद, भू.अ.नि.क्षेत्र. खाट सजवार तहसील सादुलशहर खाता संख्या 3/3, जमाबंदी सम्वत 2069–2072 चक 5 बीएन डब्ल्यू, पटवार हल्का हाकमाबाद, भू.अ. नि.क्षेत्र. खाट सजवार तहसील सादुलशहर खाता संख्या 35/37, जमाबंदी सम्वत 2071–2074 चक 4 बीएन डब्ल्यू, पटवार हल्का बनवाली, भू.अ.नि.क्षेत्र. बनवाली तहसील सादुलशहर खाता संख्या 38/52, 2071–2074 चक 4 बीएन डब्ल्यू, पटवार हल्का बनवाली, भू.अ.नि.क्षेत्र. बनवाली तहसील सादुलशहर खाता संख्या 11/92, 2071–2074 चक 4 बीएन डब्ल्यू, पटवार हल्का बनवाली, भू.अ.नि.क्षेत्र. बनवाली तहसील सादुलशहर खाता संख्या 52/46, 2071–2074 चक 4 बीएन डब्ल्यू, पटवार हल्का बनवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र. बनवाली तहसील सादुलशहर खाता संख्या 8/7 का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी होने एवं वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की आपसी सहमति (राजीनामा) होने से वादी एवम् [illegible] खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादी प्र[illegible] स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार [illegible] प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्री[illegible] जरिए कमांक/भू.अ./2833 दिनांक 05.07.2024 के एवम् तहसीलदार सादुलशहर [illegible] प्रकरण में जरिए कमांक /भू.अ./2274 दिनांक 24.07.2024 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी एवम् वकील प्रतिवादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर एवम्

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, बहस, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा एवम् तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के अवलोकनोपरान्त वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

।। आदेश ।।

चक 10 एलएनपी खाता संख्या 5/7 रकबा 6.2000 हैक्टर नहरी मय खाला, **चक 4 बीएनडब्ल्यु** खता संख्या 8/8 रकबा 6.831 हैक्टर नहरी बारानी मय गै.मु.रास्ता व इसी चक की खाता संख्या 52/52 रकबा 17.457 हैक्टर नहरी बारानी गय गैर मु. रास्ता व इसी चक की खाता संख्या 138/137 रकबा 0.759 हैक. नहरी व इसी चक की खाता संख्या 11/11 रकबा 2.530 हैक्टर बारानी मय गै.मु. व **चक 5 बीएनडब्ल्यू** खाता संख्या 9/3 रकबा 10.878 हैक्टर नहरी बारानी मय गै.मु.रास्ता व इसी चक की खाता संख्या 40/35 रकबा 3.777 हैक्टर नहरी मय गै.मु. रास्ता के अनुसार वाद निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है :–

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभजन प्रस्ताव अनुसारः–

क.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	गुरलाभ सिंह पुत्र रेशम सिंह(प्रतिवादी संख्या 2), जगमीत सिंह पुत्र रेशम सिंह (प्रतिवादी 3) के हक व हिस्से के अनुसार	**चक 10 एलएनपी** के खाता संख्या 5/7 के मु.नं. 15 किला नं. 16,–17–18, (0.759 हैक.) 19(0.0428), 21 ता 25(1.265 हैक.) कुल 2.066 हैक. नहरी काश्त है।
2	निर्भय सिंह पुत्र करतार सिंह(प्रतिवादी संख्या 1) के हक व हिस्से के अनुसार	**चक 10 एलएनपी** के खाता संख्या 5/7 के मु.नं. 15 किला नं.6(0.253), 7(0.0854 हैक.), 11 ता 15(1.265 हैक.) 20(0.253), 19(0.2102 हैक.)कुल 2.066 हैक. नहरी
3	तेजा सिंह पुत्र श्री करतार सिंह(वादी संख्या 1) के हक व हिस्से के अनुसार	**चक 10 एलएनपी** के खाता संख्या 5/7 के मु.नं. 15 किला नं.1(0.228हैक.), 2(0.228 हैक.), 3(0.228 हैक.), 4(0.228 हैक.), 5(0.228 हैक.), 7(0.1676), 8–9–10 (0.759 हैक.) कुल 2.066 हैक. नहरी

तहसीलदार(राजस्व) सादुलशहर द्वारा प्रेषित विभजन प्रस्ताव अनुसारः–

क.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	गुरलाभ सिंह, जगमीत सिंह पिसरान रेशम सिंह ब. हि. ब. जाति जट सिख निवासी बनवाला	चक 05 बीएनडब्ल्यू के [illegible] संख्या 9/3 के मु0न0 [illegible] के किला न0 23 [illegible] 01 हैक्टर बारानी, 24 की 0.152 हैक्टर बारानी = [illegible].253 हैक्टर बारानी, मु0न0 18 के किला न0 4 [illegible].253 हैक्टर बारानी, 7 की 0.127 हैक्टर नहरी = 0.380 हैक्टर नहरी बारानी, खाता संख्या 9/3 के मु0न0 22 के किला न0 14 की 0.253 हैक्टर नहरी, किला नं. 17 की 0.253 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

	खातेदार रहन बदस्तुर	नहरी, 24 की 0.253 हैक्टर नहरी = 0.759 हैक्टर नहरी, खाता संख्या 9/3 के मु0न0 35 के किला न0 4 की 0.253 हैक. नहरी, 7 की 0.253 हैक्टर नहरी, किला नं. 14 की 0.253 हैक्टर नहरी, खाता संख्या 40/35 का मुरबा नम्बर 35 का किला नं.13 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 17 की 0.253 हैक्टर नहरी, 18 की 0.253 हैक्टर नहरी, 23 की 0.253 हैक्टर नहरी, किला नं. 24 की 0.253 हैक्टर नहरी = 2.024 हैक्टर नहरी, खाता संख्या 40/35 के मु०न० 37 के किला न0 4/2 की 0.025 हैक्टर नहरी, 4/1 की 0.051 हैक्टर रास्ता, 3 की 0.063 हैक्टर रास्ता = 0.139 हैक्टर नहरी मय गै.मु.= 3.555 हैक्टर नहरी/बारानी मय गै.मु. तथा **चक 04 बीएनडब्ल्यु** के खाता संख्या 8/8 के मु0न0 62 के किला न0 3 की 0.253 हैक्टर नहरी, किला नं. 7 की .127 हैक्टर नहरी, 8 की 0.253 हैक्टर नहरी, 13 की 0.253 हैक्टर नहरी, 14 की 0.253 हैक्टर नहरी 1.139 हैक्टर नहरी, खाता संख्या 8/8 के मु0न0 82 के किला न0 4/1 की 0.228 हैक्टर बारानी, 4/2 की 0.025 हैक्टर खाला, 5/1 की 0.228 हैक्टर बारानी, 5/2 की 0.025 हैक्टर खाला, किला नं0 6 की 0.253 हैक्टर बारानी, 7 की 0.253 हैक्टर बारानी, **चक 4 बीएनडब्ल्यु** खाता संख्या 52/52 में से 0.928 हैक्टर नहरी/बारानी मय गै.मु.= 3.079 हैक्टर नहरी/बारानी मय गै. मु. सर्व योग 6.634 हैक्टर नहरी/बारानी मय गै. मु.
2	हरजिन्द्र कौर पत्नी श्री रेशम सिंह कौम जट सिख बदस्तुर निवासी बनवाली खातेदार रहन	**चक 04 बीएनडब्ल्यु** खाता संख्या 8/8 के मु0न0 70 के किला न0 4/1 की 0.228 हैक्टर बारानी, 4/2 की 0.025 हैक्टर रास्ता, 5/1 की 0.228 हैक्टर बारानी, 5/2 की 0.025 हैक्टर रास्ता 6 की 0.253 हैक्टर बारानी, 7 की 0.253 हैक्टर बारानी, 14 की 0.253 हैक्टर बारानी, 15 की 0.253 हैक्टर बारानी, 16 की 0.253 हैक्टर बारानी, 17 की 0.253 हैक्टर बारानी, 24 की 0.253 हैक्टर बारानी, 25 की 0.253 हैक्टर बारानी = 2.530 हैक्टर बारानी मय गै.मु. रास्ता ।
3	निर्भय सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला खातेदार रहन बदस्तुरः–	**चक 05 बीएनडब्ल्यु** खाता संख्या 9/3 के मु0न0 18 के किला न० 1 की 0.189 हैक्टर बारानी, 7 की 0.126 हैक्टर नहरी, 10 की 0.253 हैक्टर बारानी, 11 की 0.253 हैक्टर बारानी, 14 की 0.253 हैक्टर नहरी, 17 की 0.253 हैक्टर नह[illegible] 0.253 हैक्टर बारानी, 21 की 0.253 हैक्[illegible] बारानी, [illegible]3 की 0.253 हैक्टर नहरी, 24 की 0.253 है[illegible] = 2.339 हैक्टर नहरी/बारानी, खाता सं[illegible]/3 के मु0न0 23 की किला न० 1/1 की 0.2[illegible] हैक्टर नहरी, 1/2 की 0.025 हैक्टर खाला, 10 [illegible].253 हैक्टर नहरी, 11 की 0.253 हैक्टर नहरी, 20 की 0.253 हैक्टर नहरी, 21 की 0.253 हैक्टर नहरी = 1.265 हैक्टर नहरी मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

		खाला, खाता संख्या 9/3 के मु0न0 34 किला न० 1 की 0.253 हैक्टर नहरी, 2 की 0.253 हैक्टर नहरी, 9 की 0.253 हैक्टर नहरी, 10 की 0.253 हैक्टर नहरी= 1.012 हैक्टर नहरी कुल 4.616 हैक्टर नहरी/बारानी मय गै. मु.। **चक 04 बीएनडब्ल्यु** खाता संख्या 11/11 के मु0न0 41 के किला न0 2/1 की 0.215 हैक्टर नहरी, 2/2 की 0.038 हैक्टर रास्ता, 3/1 की 0.215 हैक्टर नहरी, 3/2 की 0.038 हैक्टर रास्ता, 4/1 की 0.215 हैक्टर नहरी, 4/2 की 0.038 हैक्टर रास्ता, 7 की 0.253 हेक्टर नहरी, 8 की 0.253 हैक्टर नहरी, 9 की 0.253 हैक्टर नहरी, 13 की 0.253 हैक्टर नहरी, 14 की 0.253 हैक्टर नहरी, 17 की 0.253 हैक्टर नहरी, 18 की 0.253 हैक्टर नहरी, खाता संख्या 138/137 के मुरबा नम्बर 41 के किला नं. 22 की 0.253 हैक्टर नहरी, 23 की 0.253 हैक्टर नहरी, 24 की 0.253 हैक्टर नहरी= 3.289 हैक्टर नहरी मय गै.मु., खाता संख्या 8/8 के मुरबा नम्बर 62 के किला न0 4 की 0.253 हैक्टर नहरी, 5 की 0.253 हैक्टर नहरी, 6 की 253 हैक्टर नहरी, 7 की 0.126 हैक्टर नहरी, 15 की 0.253 हैक्टर नहरी= 1.138 हैक्टर नहरी कुल 4.427 हैक्टर नहरी मय गै.मु. सर्व योग 9.043 हैक्टर नहरी/बारानी मय गै.मु.।
4	तेजा सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला खातेदार रहन बदस्तुरः–	**चक 05 बीएनडब्ल्यु** के खाता संख्या 9/3 के मु०न० 22 के किला न0 4/1 की 0.228 हैक्टर नहरी, 4/2 की 0.025 हैक्टर खाला, 5/1 की 0.203 हैक्टर नहरी, 5/2 की 0.025 हैक्टर रास्ता, 5/3 की 0.025 हैक्टर खाला, 6/1 की 0.228 हैक्टर नहरी, 6/2 की 0.025 हैक्टर रास्ता, 7 की 0.253 हैक्टर नहरी, 15/1 की 0.228 हैक्टर नहरी, 15/2 की 0.025 हैक्टर रास्ता, 16/1 की 0.228 हैक्टर नहरी, 16/2 की 0.025 हैक्टर रास्ता, 25/1 की 0.228 हैक्टर नहरी, 25/2 की 0.025 हैक्टर रास्ता = 1.771 हैक्टर नहरी मय गै. मु., खाता संख्या 9/3 के मु0न0 34 के किला न० 11 की 0.253 हैक्टर नहरी, 12 की 0.253 हैक्टर नहरी, खाता संख्या 40/35 के मुरबा नम्बर 34 के किला नं.19 की 0.253 हैक्टर नहरी, 20 की 0.253 हैक्टर नहरी, 21 की 0.253 हैक्टर नहरी, 22 की 0. 253 हैक्टर नहरी =1.518 हैक. नहरी, खाता संख्या 9/3 के मु0न0 35 के किला न0 5/1 की 0.228 हैक्टर नहरी, 5/2 [illegible] हैक्टर रास्ता, 6/1 की 0.228 हैक्टर नहरी, 6/2 की 0.025 हैक्टर रास्ता, 15/1 की 0.228 हैक्टर [illegible] 15/2 की 0.025 हैक्टर रास्ता, [illegible] के खाता संख्या 40/35 के मुरबा नम्बर 35 के 1[illegible] की 0.228 हैक्टर नहरी, 16/2 की 0.025 हैक्टर रास्ता, 25/1 की 0.228 हैक्टर नहरी, 25/2 की 0.025 हैक्टर रास्ता = 1.265 हैक्टर नहरी मय गै.मु. रास्ता, खाता संख्या 9/3 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

		मु0न0 19 के किला न0 5 की 0.063 हैक्टर बारानी, 6 की 0.253 हैक्टर बारानी, 15 की 0.253 हैक्टर बारानी, 16 की 0.253 हैक्टर बारानी 25 की 0.253 हैक्टर बारानी = 1.075 हैक्टर बारानी, खाता संख्या 40/35 के मु0न0 37 के किला नं. 5/1 की 0.063 हैक्टर नहरी, 5/2 की 0.051 हैक्टर रास्ता = 0.114 हैक्टर नहरी मय गै.मु. रास्ता, खाता संख्या 40/35 के मुरबा नम्बर 38 के किला न० 1/1 की 0.113 हैक्टर नहरी, 1/2 की 0.051 हैक्टर रास्ता, 2/1 की 0.126 हैक. नहरी, 2/2 की 0.051 हैक्टर रास्ता = 0.341 हैक्टर नहरी गै.मु. =6.084 हैक. नहरी/बारानी मय गै.मु.। **चक 04 बी.एन.डब्लयू.** खाता संख्या 8/8 के मु0न0 87 के किला न. 16/1 की 0.228 हैक्टर नहरी, 16/2 की 0.025 हैक्टर खाला, 17 की 0.253 हैक्टर नहरी, 24 की 0.253 हैक्टर नहरी, 25/1 की 0.228 हैक्टर नहरी, 25/2 की 0.025 हैक्टर खाला = 1.012 हैक्टर नहरी मय गै.मु., चक **04 बी.एन. डब्लयू.** के खाता संख्या 52/52 मे से 0.970 हैक्टर नहरी/बारानी मय गै.मु.= 1.982 हैक्टर नहरी/बारानी मय गै.मु. कुल योग 8.066 हैक्टर नहरी/बारानी मय गै. मु.।
5	शेष खाता बदस्तूर रहेगा।	

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29.07.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)